तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/11/82	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समन्स से तीन बार तीन-तीन तामीलें कराई गई। बावजूद तामीलें कराने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रो. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

रण संख्या : 173 / 2022 (GCMS No. 2022/286)

र्थीगण :–

1. खेमाराम वल्द खींयाराम
2. जगराम वल्द खींयाराम
   कौम जाट निवासी नेहरों का तला, नौखडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गोपाराम वल्द पुरखाराम
2. गोरखा वल्द फरू
3. पदमा वल्द फरू
4. जोधा वल्द फरू
5. दुर्गाराम वल्द पेमाराम साकिन नौखडा
6. जयराम परिहार वल्द पुरखाराम
7. नोजीदेवी पत्नी पुरखाराम कौम मेगवाल
8. जीयाराम वल्द चेतनराम
9. राणीदेवी पत्नी चेतनराम
10. शंकराराम वल्द चेतनराम
11. ढेली पत्नी बींजाराम
12. धनाराम वल्द बींजाराम
13. प्रकाश वल्द बींजाराम
14. राजू वल्द बींजाराम
15. सवाईराम वल्द बींजाराम
    कौम गुरूडा साकिन आदर्श छोटू
16. अशोक कुमार वल्द हीराराम
17. आसूलाल वल्द सोनाराम
18. ओमप्रकाश वल्द ठाकराराम
19. दिनेश कुमार वल्द ठाकराराम
20. पेमाराम वल्द हिमताराम
21. पारसमल शर्मा वल्द ठाकराराम
22. भागीरथराम वल्द पदमाराम
23. महादेव गौड वल्द हीराराम
24. रामेश्वर प्रसाद शर्मा वल्द ठाकराराम
25. वालाराम वल्द हिमताराम
26. सत्यनारायण वल्द सोनाराम
27. हीराराम वल्द हिमताराम
    कौम ब्राहमण साकिन आदर्श छोटू तहसील नौखडा, जिला बाड़मेर
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी / नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकतरफा – विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:42 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 15.11.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना अ[illegible]त धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश [illegible] पत्थर मढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया [illegible] प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के खिलाफ ब[illegible]जूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत :– 2072–2075 – जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आदर्श छोटू के खेत खसरा नम्बर 892 / 119 रकबा 3.7879 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है **दौनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** सरहद मौजा आदर्श छोटू के खेत खसरा नम्बर 892/119 रकबा 3.7879 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/11/22 को मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:42 IST
Reason: SelfAttested